न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, खोरीमहुआ (गिरिडीह)

वाद सं० 33/2017
तुलसी साव - बनाम - मुमताज मियाँ वगैरह
धारा 144 दं० प्र० सं०

आदेश फलक

16.6.17 अभिलेख उपस्थापित। प्रश्नगत विवादित भूमि गावाँ थाना अन्तर्गत मौजा - मंझने (1) खाता - नं० 220 प्लॉट नं० 841 रकबा 08 डी० के मध्ये 04 डी० चौहद्दी :- उ० - बसीर मियाँ, द० - सड़क, पू० - सफीक मियाँ, प० - हबीब खान। (2) खाता नं० 28 प्लॉट नं० 843 रकबा 06 डी० चौहद्दी :- उ० - सफीक मियाँ, द० - सड़क, पु० - फौजदारी खाँ, प० - जहीर खान की जमीन।

प्रश्नगत भूमि के संबंध में उभय पक्षों की ओर से कारण-पृच्छा दाखिल किया गया है। जिसमें दोनो पक्षों का कथन लिखित बहस में अंकित है।

प्रथम पक्ष का कहना है कि कार्यवाही के अधीन प्रश्नगत भूमि को प्रथम पक्ष अपने नाम एवं पत्नी सरिता देवी के नाम से वजरिये निबंधित केवाला से हासिल किया है जिसके संदर्भ में निबंधित केवाला की छायाप्रतियाँ दाखिल किया गया।

द्वितीय पक्ष का कहना है कि उक्त भूमि द्वितीय पक्ष के द्वारा खरीदगी से हासिल किया गया है उक्त संदर्भ में उनके द्वारा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया।

अभिलेख का अवलोकन किया। दोनो पक्ष भूमि को लेकर दखल के संबंध में कोई स्पष्ट प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर सके।

मामला स्वत्व का प्रतीत होता है इसके लिए पक्षकार स्वत्व हेतु माननीय सक्षम न्यायालय जा सकते हैं।

P.T.O.

Scanned with CamScanner

लगायी गयी निषेधाज्ञा की अवधि समाप्त हो चुकी है। इसलिए इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित

अनुमण्डल दण्डाधिकारी
खोरीमहुआ।

अनु० दण्डा०,

Scanned with CamScanner